| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख ... हुक्म ... |
| --- | --- | --- |
| 26.05.05 | वादी के कार्य व्यस्तता के कारण पूर्वानुसार दिनांक 7-6-05 को पेश हो। | |
| 7.6.05 | उभय पक्षकारान के अधिवक्ता उप०/ बहस को समय चाहा / दिनांक 15-06-05 को पेश हो / | |
| 15.06.05 | उभय पक्षकारान के अधि० उप०/ प्रार्थी की तरफ से फार्म नं. 3 के जरिये कुछ नकल दस्तावेजात पेश किये/ प्र. रहे/ बाद बहस दिनांक 20.6.05 को पेश हो/ | |
| 20.6.05 | उभय पक्षकारान उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय 11.7.05 को पेश हो। | |
| 11.7.05 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 R 13 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की तामील विधिवत नहीं की गई इसलिए डिग्री दिनांक 27.1.05 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विरोध किया गया व निर्णय व डिग्री 27.1.01 को विधिवत सही बतलाया गया है। [illegible] सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पत्रावली [illegible] 32/03 की ओर [illegible] से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16/4/03, 8/5/03, 18/6/03, 26/7/03, 23/09/03, 15/10/03 व 31/10/03 को प्रार्थीगण की तामील हेतु सम्मन तलबाना पेश किए जाने हेतु बार-बार अवसर दिए जाते रहे, किंतु अप्रार्थीगण | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| द्वारा कोई सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया एवं न्यायालय द्वारा 17.12.03 को प्रार्थिया की एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई सम्मन उपलब्ध नहीं है, जिससे दिनांक 17.12.03 को प्रार्थिया को इस मुकदमे के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी सूरत में प्रार्थिया की तलबी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती व प्रार्थिया के विरुद्ध दिनांक 17.12.03 को जो एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, वह गलत प्रतीत होती है, ऐसी सूरत में प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 ~~स्वीकार~~ जाब्ता दीवानी स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाकर एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.12.03 व इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.05 व संबंधित राजस्व वाद संख्या 32/03 मंसूख (Setaside) किया जाता है व प्रकरण में प्रार्थिया को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। ... होकर मूल वाद संख्या 32/03 ... बनाम ... के साथ संलग्न रहे। | |
| उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.01 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner